

352

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-58/15/2017/19/चो 2719
प्रति,

भोपाल दिनांक 19/09/2019

- | | |
|---|--|
| 1 अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय भोपाल। | 2 अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय भोपाल। |
| 3 अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वित्त विभाग
मंत्रालय भोपाल। | 4 प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय भोपाल। |
| 5 प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय भोपाल। | 6 प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य कर विभाग
मंत्रालय भोपाल। |
| 7 प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय भोपाल। | 8 प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग
मंत्रालय भोपाल। |

660
26/09/19
गारिमा
26-9

विषय:- जी0एस0टी0 लागू होने के कारण विभागीय कार्यों पर पड़ने वाले प्रभाव।

—0—

जी0एस0टी0 लागू होने के कारण विभागीय कार्यों पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में दिनांक 20.08.2019 को सम्पन्न बैठक का कार्यवाही विवरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

सहपत्र:-उपरोक्तानुसार

5
23/9/19
DM
23/9

म. प्र. शासन व. स. विभाग मंत्रालय
जावक क्र. 352
मो. प्र. शासन/31/1067
मो. प्र. शासन/24/9/3019

(पी0सी0 बारस्कर)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग

EWIC/CE(P) ✓
for necessary action P.M.
24/9/19


कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग
जल संसाधन विभाग कोपल

पुं क्रमांक/362/271/इ.रे/2017-18/पाटि A/कोपल दिनांक 1/10/2019

प्रतिलिपि:-

- ① सम्बन्धित प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग
वेब साइट के माध्यम से
- ② वेब पेज पर, कार्यालय परियोजना संचालक, सिविल
क्र. 229 कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग
कोपल को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संलग्न : उपरोक्तानुसार


1/10/19
मुख्य अभियन्ता (जो)
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
जल संसाधन विभाग कोपल

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग

विषय:- दिनांक 01 जुलाई 2017 से पूर्व से अनुबंधित कार्यों पर जी.एस.टी.
के भुगतान के संबंध में बैठक।

कार्यवाही विवरण

दिनांक 01 जुलाई 2017 के पूर्व अनुबंधित कार्यों पर जी.एस.टी. के
भुगतान के संबंध में अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में
दिनांक 20.08.2019 को बैठक संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित अधिकारी
उपस्थित हुए:-


1. श्री एम. गोपाल रेड्डी, अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग
2. श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग
3. श्री संजय दुबे, प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन विभाग
4. श्री मलय श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग
5. श्री संजय शुक्ला, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
6. श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव, विधि विधायी विभाग
7. श्री पी.सी. बारस्कर, सचिव, लोक निर्माण विभाग
8. श्री पी.के. निगम, प्रमुख अभियंता, म.प्र. ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण
9. श्री डी.के. पचौरी, प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
10. श्री गोपाल सिंह, मुख्य अभियंता, म.प्र. सडक विकास निगम लि.

बैठक में समग्र विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि

“ऐसे कार्य जो शासन के परसेन्टेज रेट कॉन्ट्रैक्ट के स्टेण्डर्ड बिड डाक्यूमेंट
के अतिरिक्त अन्य किसी डाक्यूमेंट पर अनुबंधित हैं, के संबंध में सभी विभाग
अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार, “Change in Legislation”/ “Change in

2
Law" के कारण देय जी.एस.टी. के अंतर की राशि का विश्लेषण एवं गणना कर वित्त विभाग के परामर्श उपरांत संक्षेपिका केबिनेट में प्रस्तुत करेंगे।

अंत में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक संपन्न हुई।



गोपाल सिंह
मुख्य अभियंता,
म.प्र.स.वि.नि.लि.



डी.के. पचीरी
प्रमुख अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा



पी. के. निगम
प्रमुख अभियंता
म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा.



पी.सी. बारस्कर
सचिव
लोक निर्माण विभाग



सत्येन्द्र कुमार सिंह
प्रमुख सचिव
विधि विधायी विभाग



संजय शुक्ला
प्रमुख सचिव
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग



मलय श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव
लोक निर्माण विभाग



संजय दुबे
प्रमुख सचिव
नगरीय प्रशासन विभाग



अनुराग जैन
अपर मुख्य सचिव
वित्त विभाग



एम. गोपाल रेड्डी
अपर मुख्य सचिव
जल संसाधन विभाग